

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

16/2024

11.6.2024

25.8.25

दशरथसिंह पुत्र सरदार, गुर्जर निवासी थली तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

1. नवल पुत्र दरबसिंह, गुर्जर निवासी थली तह0 गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी थली तह0 गंगापुर सिटी
3. सुबुद्धि पुत्र किशनलाल, गुर्जर निवासी थली तह0 गंगापुर सिटी
4. करणसिंह उर्फ वरणसिंह पुत्र गुजरया, गुर्जर निवासी थली तह0 गंगापुर
5. रामबाबू पुत्र रामसिंह, गुर्जर निवासी थली तह0 गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राज0 अधिनियम

उपस्थित :- श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं उसके भाई धारासिंह, भंवरसिंह पुत्रान सरदार की सहखातेदारी का खेत ख0न0 421 रकबा 1.05 है0 ग्राम थली स्थित है। इस खेत ख0न0 421 के सहारे उत्तर में ख0न0 420 व उत्तर पश्चिम में ख0न0 402, अप्रार्थी संख्या नवल 1 नवल पुत्र दरबसिंह व उसके अन्य सहखातेदारान का तथा पश्चिम में ख0न0 422 अप्रार्थी संख्या 2 जगदीश पुत्र रामधन व अन्य सहखातेदारान का, उत्तर दिशा में ख0न0 417 सुबुद्धि पुत्र किशनलाल अप्रार्थी संख्या 3 व उसके अन्य सहखातेदारान का, उत्तरपूर्व में ख0न0 416 अप्रार्थी संख्या 4 करणसिंह व उसके अन्य सहखातेदारान का, पूर्व दिशा में ख0न0 434 रामबाबू पुत्र रामसिंह, अप्रार्थी संख्या 5 व उसके अन्य सहखातेदारान का है। प्रार्थी ने अपने ख0न0 421 की सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ दिनांक 15.6.23 को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर दिनांक 15.6.23 को पटवारी हलका बामनबडौदा ने ख0न0 421 रकबा 1.05 है0 का सीमाओं का नाप कर पुख्ता निशानात लगवा कर सीमाज्ञान करवाया। दिनांक 5.6.24 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रार्थी के खेत की सीमाज्ञान कर लगवाये गये सीमाचिन्हों को तोड़ फोड़ कर दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 421 रकबा 1.05 है0 ग्राम थली का सीमाज्ञान दिनांक 15.6.23 के आधार पर पत्थरगढ़ी करवायी जावें।



उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

(2)

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी रां0 2070 से 2073 खाता संख्या 29,27,25,99,109,10 ग्राम थली, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट थली दिनांक 15.6.23 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,3,4,5 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए है। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 को कई अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 का जबाब का अवसर बंद किया गया।

वकील उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप वहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को भूमि ख0न0 421 रकबा 1.05 है0 ग्राम थली तहसील गंगपुर सिटी का सीमाज्ञान कराया जा चुका है। भूमि ख0न0 421 रकबा 1.05 है0 ग्राम थली की भूमि सहखातेदारी में दर्ज है तथा पत्थरगढी के लिए आवेदन एक ही खातेदार द्वारा किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/8/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बृजेंद्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उप. जिला मजिस्ट्रेट (सदर)
गंगपुर सिटी